प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक
जय हिन्द पब्लिक स्कूल
पेपर मिल रोड नगर क्षेत्र(सहारनपुर)
(जिला सहारनपुर)

पत्रांक:– प्रबन्ध / 6809-10 /2008–09/दिनॉक:– 25/9/08

विषय:–प्राथमिक स्तरीय (कक्षा 1 से 5 तक) विद्यालय की नवीन मान्यता के संबध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय निरीक्षक अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 23/09/2008 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2008–09 से स्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है,

(1) शिक्षण शुल्क रू 15.00 प्रतिमाह प्रति छात्र से अधिक न लिया जाये ।
(2) किसी भी अध्यापक/कर्मचारी की नियुक्ति बिना इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किये न की जाये न ही सेवा समाप्त की जाये ।
(3) विद्यालय में विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तके तथा पाठ्यकम ही पढाया जाये । अमान्य पुस्तके कदापि न पढ़ाई जाये ।
(4) प्रत्येक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान तथा भत्तें दिये जाये जो परिषदीय विद्यालयों में देय है ।
(5) यह मान्यता उस परिसर एंव भवन के लिये है जिसका आवेदन पत्र में विवरण दिया गया है। भवन का स्थान बदलने की दशा में मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । विद्यालय की शाखा खोलने की अनुमति नही है ।
(6) अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थान पर भविष्य में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जायें ।
(7) विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण हेतु समस्त अभिलेख तैयार रखे जाये । किसी भी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने अथवा विभागीय आदेशो की अवहेलना करने पर जिला मान्यता समिति द्वारा मान्यता समाप्त की जा सकती है जिसका सम्पूर्ण विद्यालय की प्रबन्ध समिति का होगा ।
(8) विद्यालय में अग्निशामक यंत्रो की भी समुचित व्यवस्था की जाये ।
(9) 5 वर्ष के अन्दर स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।

पंत्राक एंव दिनॉक उपरोक्त

प्रतिलिपि :–नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षैत्र सहारनपुर जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।